12 सितंबर, 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक के 14 आस्थगित मामलों पर विचार करने के लिए 5 अक्टूबर, 2018 को होने वाली अनुवर्तन बैठक के लिए एजेंडा

एजेंडा की मद संख्या 84.7(vii) : एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रैप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स, जो केएएसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट है, को प्लास्टिक अपशिष्ट एवं स्क्रैप की रिसाइकलिंग के लिए तथा फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की री-प्रोसेसिंग के लिए 15 मई 1996 को एलओए प्रदान किया गया।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके एलओए के नवीकरण के प्रस्ताव को 3 जुलाई, 2017 को आयोजित 78वीं बैठक में अस्वीकार कर दिया गया [एजेंडा मद संख्या 78.5 (ii)]। यूनिट ने अहमदाबाद स्थित माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का एससीए संख्या 19048 दायर किया। अब माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 मई, 2018 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड के विस्तार / नवीकरण के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के निर्णय को रद्द एवं अपास्त कर दिया है। अनुमोदन बोर्ड के निर्णय को रद्द करते समय माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि :

"इस मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हमारी यह राय है कि याचिकाकर्ता के मामले पर प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अन्य मौजूदा यूनिटों के साथ समानता की जांच करने के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिनको याचिकाकर्ता के अनुसार विस्तारित अवधि तक प्रचालन में न होने के बावजूद नवीकरण प्रदान किया गया है।

इन टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका इसके द्वारा आंशिक रूप से अनुमत की जाती है। विस्तार / नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले प्रतिवादी संख्या 2 (जो 3 जुलाई 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 78.5 (2) पर दर्ज किया गया है) द्वारा पारित आदेश और आवरण पत्र दिनांक 14 जुलाई 2017 इसके द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है।"

उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी उच्च न्यायालय के समक्ष अपने एससीए में मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स के इस दावे पर आधारित है कि विस्तारित अवधि तक गैर प्रचालन यूनिटों के समान मामलों को दो समान यूनिटों के मामले में अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके एलओए के नवीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया जैसा कि यूनिट द्वारा अपनी याचिका में दावा किया गया है, एक मामला मैसर्स आरआर वाइब्रेंट पॉलीमर्स लिमिटेड, केएएसईजेड (30 दिसंबर 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 68वीं बैठक) और दूसरा मामला मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड (23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक) से संबंधित है जो अन्यथा निष्क्रिय एवं गैर क्रियाशील पड़ी थी और विशेष रूप से अन्य मौजूदा यूनिटों के साथ

समानता की जांच करने के लिए प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया जिनको याचिकाकर्ता के अनुसार विस्तारित अवधि तक क्रियाशील न होने के बावजूद नवीकरण प्रदान किया गया।

तद्नुसार, यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 16 मई 2018 के माध्यम से न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में पुनर्विचार करने के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है तथा यह भी वचन दिया है कि :

- वे नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 से सहमत हैं और इसका संशोधन दिनांक 13 फरवरी 2018 उनको स्वीकार्य होगा।
- उन्होंने प्रचालन बहाल करने के लिए नई मशीनरी के लिए आर्डर दिया है और कोटेशन तथा क्रय आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।
- वे इस परियोजना में लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे।
- वे सकारात्मक एनएफईई प्राप्त करेंगे तथा मंत्रालय की नीति के अनुसार भौतिक निर्यात करेंगे।
- उन्होंने प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन में 210 लाख रुपए का निवेश किया है।

उन्होंने नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 तथा भौतिक निर्यात की शर्तों के संबंध में मंत्रालय के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2018 के माध्यम से किए गए संशोधन के अनुपालन के लिए हलफनामा भी प्रस्तुत किया है।

माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, एजेंडा और कार्यवृत्त के आधार पर अन्य यूनिटों के मामलों के साथ उनके मामले की समानता का विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

क्र. सं.	**प्रस्ताव का ब्यौरा**	**मैसर्स आरआर वाइब्रेंट पॉलिमर्स लिमिटेड**	**मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड**	**मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स**
1.	अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निर्णित बीओए एजेंडा मद	68वां बीओए 30 दिसंबर, 2015 - मद संख्या 68.5 (vi)	69वां बीओए 23 फरवरी, 2016 - मद संख्या 69.11 (v)	78वां बीओए 03 जुलाई, 2017 - मद संख्या 78.5 (ii)
2.	मूल एलओए दिनांक	27 नवंबर, 1996	05 नवंबर 1997	15 मई, 1996
3.	प्रचालन न करने के वर्षों की संख्या	15 वर्ष	8 वर्ष	7 वर्ष

4.	पिछली वैधता कब तक थी	31 अक्टूबर, 2000	30 नवंबर, 2013	30 सितंबर, 2012
5.	यूनिट के दावे के अनुसार गैर गतिविधि के कारण	वर्ष 2000 में उनके कारखाने में आग लग गई और बीमा कंपनी ने उनका दावा अस्वीकार कर दिया तथा बैंक ने रिकवरी के लिए उनको नोटिस जारी किया, विशाल ईएम रेंट बकाया था।	2008 में वैश्विक मंदी के कारण उनके आर्डर निलंबित हो गए तथा 2009-2010 से यूनिट घाटे में चली गई। टुकड़ों में उनके एलओए की अवधि कम समय के लिए बढ़ाए जाने के कारण वे निर्यात आर्डर नहीं दे सके।	टुकड़ों में उनके एलओए की अवधि कम समय के लिए बढ़ाए जाने के कारण वे निर्यात आर्डर नहीं दे सके।
6.	संशोधित बहाली योजना	बैंक एवं बीमा कंपनी के साथ मामले के निस्तारण के बाद उन्होंने अपनी यूनिट के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्लांट एवं मशीनरी पर 300 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने तथा 69.50 लाख रुपए के किराए का भुगतान करने का वचन दिया है।	उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया है तथा 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा 5 वर्षों में 7362.80 लाख रुपए के एनएफई के साथ 250 केडब्ल्यू के 2 जेनरेटर सेट के साथ 10 एग्लोमरेटर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।	उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया है तथा प्रचालन बहाल करने के लिए नई मशीनरी के लिए आर्डर दिया है तथा 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के साथ प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन में 210 लाख रुपए का निवेश किया है।

7.	गैर गतिविधि से पूर्व एनएफई	सकारात्मक	ऋणात्मक	सकारात्मक
8.	क्या भौतिक निर्यात की शर्त सहित यथा संशोधित नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 की शर्तों से सहमत हैं	हां	हां	हां
9.	परिसर	उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2005 को निष्कासित किया गया था और नवीनीकरण के बाद उन्हें अधिकार देते हुए फिर से बहाल किया गया था	ज्ञात नहीं	वे भिन्न-भिन्न अवस्थितियों में 2 भूखंडों के स्वामी हैं।
10.	मशीनरी	आग में जलकर राख हो गई	नई अतिरिक्त मशीनरी खरीदे जाने का प्रस्ताव है	कुछेक पुरानी मशीनरी उपलब्ध हैं और अतिरिक्त नई मशीनरी के लिए पहले ही ऑर्डर किया जा चुका है।
11.	विद्युत कनेक्शन	नहीं है	ज्ञात नहीं	मौजूद है
12.	वाटर कनेक्शन	नहीं है	ज्ञात नहीं	मौजूद है
13.	क्या निष्क्रिय होने के समय एसईजेड स्कीम में कार्यशील था	नहीं	पता नहीं	एसईजेड स्कीम के तहत अत्यधिक
14.	क्या किराया बकाया है	16 साल के किराए का भुगतान नहीं किया गया है	पता नहीं	दिसंबर 2017 तक किराए का भुगतान किया गया है
15.	गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति आदेश	नहीं है	पता नहीं	अनीता एक्सपोर्ट्स के नाम में आवंटित प्लाट पर गुजरात

				प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति उपलब्ध है
16.	क्या विकास आयुक्त द्वारा उनके मामले की सिफारिश की गई है	हां	हां	हां

19 जून 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 83वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त, केएएसईजेड यूनिट का निरीक्षण करेंगे और यूनिट के रिकार्डों तथा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 मई 2018 में उल्लिखित समान मामलों की जांच करने के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने जेडीसी और केएएसईजेड के अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 22 जून, 2018 को यूनिट का दौरा किया। यूनिट के निरीक्षण के दौरान, प्लास्टिक के कचरे और स्क्रैप की रिसाईक्लिंग के लिए कुछ पुरानी मशीनरी जैसे कि एग्लोमरेट मशीन, कवर की गई स्थिति में जनरेटर आदि उनके आवंटित प्लॉट नंबर 419-बी में पाए गए जो प्लास्टिक के कारोबार के गैर-संचालन और उनके एलओए का गैर-नवीकरण के कारण बेकार पड़े हैं।

विकास आयुक्त ने सूचित किया कि उक्त यूनिट ने प्लास्टिक कचरे और स्क्रैप की रिसाइक्लिंग के लिए पहले ही मैसर्स ब्राह्मणी इंजीनियरिंग वर्क्स, शेड नं0 के-42, आईटीआई के सामने, जीआईडीसी, गांधीधाम (कच्छ) से 66.80 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त नई मशीनरी जैसे एग्लोमरेट मशीन, ब्लेड शेपिंग मशीन, संग्रह के लिए स्टील ट्रे, अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मोटर (हैवी ड्यूटी), इलेक्ट्रिक केबल, डीजल जनरेटर सेट (250 केवीए) का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्लांट, मशीनरी और भवन में पूरी तरह से 210 लाख रुपये का निवेश किया है। जहां तक जीपीसीबी से सहमति आदेश का संबंध है, यदि यूनिट के एलओए को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नवीनीकृत किया जाता है तो यूनिट को एक बार नए सहमति आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

तद्नुसार, मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

मद संख्या 84.8(i) : विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 13 तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत 45.21 लाख रुपए (45.21 करोड़ रुपए का धनात्मक एनएफई प्राप्त न करने का 1 प्रतिशत) का अर्थ दंड लगाने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 के बीच मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है की अपील दिनांक 18 मई 2018

मद संख्या 84 8 (ii) : यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आदेश दिनांक 2 मार्च 2012 के माध्यम से निरस्त किए गए एलओए की अवधि बढ़ाने / पुन: वैध करने की प्रार्थना के साथ कोस्टल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री बृजेश कुमार ठाकुर की अपील दिनांक 28 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड को बायो डीजल (मुख्य) और ग्लिसरीन (सह उत्पाद) के विनिर्माण और निर्यात के लिए 24 मार्च, 2006 को एलओपी प्रदान किया गया और बाद में दो और वस्तुओं अर्थात् "साबुन और साबुन नूडल्स" को शामिल किया गया।

यूएसी ने गैर-कार्यनिष्पादन और सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता, जो एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 53 के साथ पठित एलओए, एलयूटी के उपबंधों का उल्लंघन है, के आधार पर एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 के तहत दिनांक 02 मार्च, 2012 के अपने आदेश के माध्यम से एलओए को रद्द कर दिया।

वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए यूनिट की वार्षिक कार्य-निष्पादन की निगरानी की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2015 को आयोजित यूएसी की 67वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी और समिति ने नोट किया कि फर्म / यूनिट अर्थात् मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड 45.21 करोड़ रुपये की सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में असफल रही।

दिनांक 23.02.2015 को यूनिट को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि विदेशी व्यापार नीति, हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010, विदेशक व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 10 के साथ पठित विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत एलओपी एवं एलयूटी के उल्लंघन तथा वर्तमान में अधिनियमित एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 और बिना किसी निर्यात के एसईजेड में स्थान का अधिभोग करते हुए एसईजेड नियमावली, 2006 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए

जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें यह कारण बताने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि विदेशी व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 9 के तहत एक आदेश क्यों न जारी किया जाए।

11 फरवरी, 2016 और 01 मार्च, 2016 को तत्कालीन विकास आयुक्त द्वारा यूनिट की दो व्यक्तिगत सुनवाई की गई। 18 नवंबर, 2016 को यूनिट द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया। यूनिट को 16 अगस्त, 2017 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यूएसी ने 17 जनवरी, 2018 को आयोजित 97वीं बैठक में अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया कि यूनिट ने फाल्टा एसईजेड यूनिट के मामले में कुल मिलाकर 45.21 करोड़ रुपये के सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में विफल रहते हुए एलओपी की शर्त का उल्लंघन किया है, जिससे सरकारी राजस्व का आर्थिक नुकसान हुआ।

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 13 और उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूएसी द्वारा 13 अप्रैल, 2018 के आदेश के तहत मैसर्स कॉस्टल एनर्जी लिमिटेड 45.21 लाख रुपये के रूप में 1 प्रतिश्सत का जुर्माना लगाया गया था।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार बताया है :

1. कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 के तहत एलओए को रद्द करने के बाद यूनिट एसईजेड अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर थी और एसईजेड अधिनियम के तहत किसी भी कारण बताओ नोटिस को जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
2. दिनांक 16.08.2017 के दूसरे कारण बताओ नोटिस के किसी भी संदर्भ पर विचार नहीं किया गया है जो अभी भी निपटान के लिए लंबित है।
3. यह आदेश दुविधायुक्त, एकपक्षीय और विधिक अशक्तता से प्रभावित है। यह अस्पष्ट, विधिक अपेक्षा के किसी आधार के बिना अस्थिर है।
4. नोटिसों के तहत सभी कार्रवाईयां राज्य की परिसीमा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा से परे हैं और इसलिए परिसीमा के कारण अवरूद्ध हैं।
5. अधिनिर्णय प्राधिकारी स्वयं सहमत थे कि दी गई परिस्थिति के तहत यूनिट की निरंतरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तकनीकी और विपणन योग्य स्थिति के लिए संभव नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने एकतरफा और एकपक्षीय तरीके से, 5 साल के पहले ब्लॉक के पूरा होने से पहले, एलओए रद्द कर दिया था अपीलकर्ता ने निरस्तीकरण के उस आदेश के संबंध में कोई मुकदमा नहीं किया था। इसके बजाय उचित अनुमति ली थी और उचित शुल्क के भुगतान पर डीटीए बाजार में इनपुटों

के स्टॉक का निपटान किया। ऐसी स्थिति में मामले के गुण और अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार किए बिना उनका आदेश असंगत और अस्वाभाविक तरीक से पारित किया गया है।

6. केवल किसी पक्ष को लिखित रूप में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम करके और उसके बाद सुनवाई में भाग लेने के अवसरों दिए बिना आदेश को पारित किया गया है।
7. जिस व्यक्ति द्वारा नोटिस जारी किया गया है उसी व्यक्ति द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान मामले में पक्षपात और स्वेच्छाचारिता बहुत अधिक विद्यमान हैं। यह निर्धारित किया गया कि कानूनी अभियोजक न्यायाधीश नहीं हो सकता। एलओए को रद्द करने से लेकर और नोटिस जारी करने तथा उसके बाद मूल रूप में आदेश पारित होने तक पूरी प्रक्रिया विकृत और अवैध है।
8. मामले की परिस्थितियों और यूनिट / यूनिट के प्रबंधन के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए यह जुर्माना कठोर था।
9. उनकी ओर से सम्यक तत्परता की कोई कमी नहीं थी और न ही भुगतान से बचने का कोई इरादा था। वास्तव में, वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, उन्होंने दो किश्तों में 86,79,425/- रूपये के किराये की बकाया भारी रकम का भुगतान किया था। उनके विरूद्ध एनएफई की कार्यवाही पर निर्णय दिया गया है और अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसमें 45.21 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की गई थी, जिसका भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया।

नियम क्या कहता है

(विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 1992 का 22 की धारा 11)

इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्यात एवं आयात नीति का उल्लंघन

11. (1) किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्यात या आयात इस अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों तथा निर्यात एवं आयात नीति के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों अथवा निर्यात एवं आयात नीती के उल्लेंघन में कोई निर्यात या आयात करेगा या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा, वहां वह, दस हजार रुपए से अन्यून और उस माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के, जिसेक बारे में उल्लंघन किया गया है, या करने का प्रयत्न किया गया है, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति का भागी होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णयन प्राधिकार द्वारा उसे सूचना दिए जाने पर, कोई उल्लंघन स्वीकार करता है वहां न्याननिर्णयन प्राधिकार ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम, परिनिर्धारण के रूप में अवधारित कर सकेगा।
(4) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की जाती है, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और संबंधित व्यक्ति, शास्ति का संदाय करने में विफल रहता है, के आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा शास्ति का संदाय किए जाने तक निलंबित किया जा सकेगा।

(5) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या निर्यात एवं आयात नीति का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां किसी पैकेज, आवेष्टक या पात्र और किसी प्रवहण सहित माल, ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायनिर्णयन प्राधिकार द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिहृत माल या प्रवहण को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, माला या प्रवहण के बाजार मूल्य के बराबर मोचन प्रभारों का संबद्ध व्यक्ति द्वारा संदाय करने पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 1992 का 22 की धारा 13)

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

13. इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक द्वारा या ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, कोई शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या कोई अधिहरण न्यायनिर्णीत किया जा सकेगा।

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 उद्यमी के प्रदान किए मंजूरी पत्र को निरस्त करना

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16(1) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति किसी भी समय, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण या आधार है कि उद्यमी ने शर्तों एवं नियमों या अपनी बाध्यताओं जिनके अधीन उद्यमी को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया, में से किसी का लगातार उल्लंघन किया है तो मंजूरी पत्र निरस्त कर सकती है।

परंतु यह कि उद्यमी को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किए गए बगैर ऐसा कोई मंजूरी पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 1 और 2)।

मद संख्या 84 8 (iii) : गाला नंबर 102 एवं 104, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स फ्लालेस ज्वैल्स की अपील

मद संख्या 84 8 (iv) : गाला नंबर 301, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स मलहार ज्वैल्स की अपील

मद संख्या 84 8 (v) **गाला : नंबर 401**, 402, 403 **एवं 404, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स प्योर गोल्ड ज्वैलर्स एंड डयमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील**

मद संख्या 84 8 (vi) : **गाला नंबर 202 एवं 204, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स विजय एक्सपोर्ट्स की अपील**

मद संख्या 84 8 (vii) : **गाला नंबर 02, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए निर्णय के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 2 मई 2018 के कार्यवृत्त तथा खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स लिमिटेड ज्वैलरी की अपील**

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

एएसआईडीई योजना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत अधिकार प्राप्त समिति ने 01 फरवरी, 2011 को एएसआईडीई स्कीम के तहत भारत सरकार के अंशदान के रूप में 19.89 करोड़ रूपये के साथ 23.40 करोड़ रूपये की कुल अनुमोदित लागत से एसईईपीजेड एसईजेड में आरसीसी (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट) के साथ एक नई मानक डिजाइन फैक्ट्री (एसडीएफ) VIII टावर के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी। एसईईपीजेड एसईजेड ने एमआईडीसी को सूचित किया था कि यह भवन आईटी यूनिटों के अलावा अन्य विनिर्माण यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए थी। एमआईडीसी ने सूचित किया कि एसईईपीजेड एसईजेड के मूल अनुरोध के अनुसार, टॉवर में रत्न और आभूषण यूनिटें प्रस्तावित नहीं थीं और टॉवर का निर्माण केवल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर (ईएच) यूनिटों के लिए किया गया था।

भवन के डिजाइन को 51.45 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी स्ट्रक्चर से बदलकर प्री-फैब्रिकेटेड कम्पोजिट स्टील स्ट्रक्चर (प्री-इंजीनियरिंग बिल्डिंग) कर दिया गया। एसईईपीजेड एसईजेड ने समापन प्रमाणपत्र (बीसीसी) और अधिभोगिता प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त किए बिना, 09 मई, 2017 के अपने विज्ञापन के माध्यम से रत्न और आभूषण / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिटों के लिए नए टॉवर में एसडीएफ-VIII में यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

स्थान के आवंटन के लिए आवेदनों की जांच के लिए जून 2017 में, एसईईपीजेड एसईजेड के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसने पाया कि प्राप्त किए गए 31 आवेदनों में से 28 आवेदन पात्र थे जिनमें रत्न और आभूषण क्षेत्र से 27 और / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र से केवल 1 आवेदन शामिल थे। समिति ने सिफारिश की कि एसडीएफ-VIII में नई यूनिटों के संबंध में अनंतिम आवंटन से पहले, बीसीसी, ओसी और फायर एनओसी प्राप्त करने के पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है।

तत्पश्चात, 04 जुलाई, 2017 को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने आवंटन को मंजूरी दे दी तथा 27 रत्न एवं आभूषण और 1 इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिट को इस शर्त के साथ कि कब्जा एमआईडीसी से बीसीसी / फायर एनओसी / ओसी की प्राप्ति के बाद ही दिया जाएगा, यूएसी से अनुमोदन के अध्यधीन अनंतिम आवंटन किया गया।

11 जुलाई, 2017 को आयोजित यूएसी की 115वीं बैठक में प्रस्ताव रखे गए थे और समिति ने सभी 28 यूनिटों को एलओए मंजूर कर दिया था। इसी दौरान, नए विकास आयुक्त ने कार्यभार ग्रहण किया और 18 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई यूएसी की अगली बैठक में 11 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई यूएसी की पूर्ववर्ती बैठक की तारीख की पुष्टि की और 29 नवंबर, 2017 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि एलओए कुछेक मानक मानदंडों, निवेश के लिए न्यूनतम सीमा, रोजगार, कंपनी के लिए निर्यात की मात्रा आदि के आधार पर दिया जाना चाहिए।

एमआईडीसी ने बताया कि रत्न एवं आभूषण यूनिटों की स्थापना के लिए भवन के उस चरण में यूनिटों को कब्जे में देना उचित नहीं था क्योंकि इससे भवन के साथ ही यूनिटों में कर्मचारियों को जटिलता और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एमआईडीसी ने रत्न एवं आभूषण यूनिटों को किए गए अनंतिम आवंटन रद्द करने की भी सिफारिश की। वाणिज्य विभाग को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के यूनिटों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देने संबंधी निर्णय के विरूद्ध शिकायतें / सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने यूनिटों को किए गए आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की।

वाणिज्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अनंतिम आवंटन रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अनुमोदन दिया। एसईईपीजेड एसईजेड को आवंटन रद्द करने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया और बाद में एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा 01 मई, 2018 को अनंतिम आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, 02 मई, 2018 को आयोजित की गई यूएसी की 124वीं बैठक में, समिति ने रद्द करने की सिफारिश की और 21 मई, 2018 को औपचारिक आदेश जारी किए गए।

यह मुद्दा वाणिज्य विभाग के सतर्कता प्रभाग द्वारा की जा रही सतर्कता जांच के अध्यधीन है।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार बताया है :

कि किसी भी ठोस कारण के बिना अनंतिम आवंटन के एलओए को रद्द करने के आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यूएसी एसईजेड अधिनियम / नियमों में किसी प्रावधान के बिना अपने अध्यक्ष के परिवर्तन के साथ अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कैसे कर सकता है और यह स्पष्ट है कि अनुवर्ती यूएसी ने दुर्भावपूर्ण इरादे से किसी दबाव / निग्रह / अनुचित प्रभाव में कार्य किया है। निरस्तीकरण आदेश अनुच्चरित है और व्याख्यात्मक नहीं है।

यह कि सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। यह दावा किया गया है कि दिनांक 02 मई, 2018 को अनुवर्ती यूएसी द्वारा की गई कार्रवाई अत्यधिक कालातीत है। अपीलकर्ताओं ने डॉ0 के डी देसाई द्वारा जारी की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान नवनिर्मित टॉवर में रत्न और आभूषण क्षेत्र को यूनिटें को आवंटित करना व्यवहार्य नहीं होगा, जिसके आधार पर विकास आयुक्त ने एलओए रद्द करने की सिफारिश की थी, की प्रामाणिकता को चुनौती दी है।

कि वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 में, आईटी यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए निर्मित किए गए एसईईपीजेड ++ टॉवर I और II नामक एक भवन का उपयोग रत्न और आभूषण विनिर्माण यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए किया गया क्योंकि बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के आईटी यूनिटों के लिए कोई ग्राहक नहीं था।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 : यूनिट की स्थापना :

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 15 (3) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति ऐसी शर्तों एवं नियमों जिसे वह लगाना उपयुक्त समझे, के अधीन संशोधन के साथ या बगैर प्रस्ताव अनुमोदित कर सकती है अथवा उपधारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

परंतु यह कि प्रस्ताव में सुधार या अस्वीकृति के मामले में अनुमोदन समिति संबधित व्यक्ति को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगी और कारणों का उल्लेख करने के बाद प्रस्ताव को संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी।

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 : उद्यमी के प्रदान किए मंजूरी पत्र को निरस्त करना

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16(1) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति किसी भी समय, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण या आधार है कि उद्यमी ने शर्तों एवं नियमों या अपनी बाध्यताओं जिनके अधीन उद्यमी को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया, में से किसी का लगातार उल्लंघन किया है तो मंजूरी पत्र निरस्त कर सकती है।

परंतु यह कि उद्यमी को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किए गए बगैर ऐसा कोई मंजूरी पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 1-7)।

मद संख्या 84 8 (xi) : पेट बाटल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स गुरुजी इंटरनेशनल जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 22 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

पेट बोतल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ऐप्पल टेक्सटाइल्स का प्रस्ताव 17 मई, 2018 को आयोजित की गई यूएसी की 129वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को उचित विचार-विमर्श के बाद यूएसी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि आईटीसी (एचएस) के तहत प्लास्टिक बोतल अपशिष्ट वर्तमान में आयात के लिए निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं और प्रस्ताव, जिसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप शामिल हैं, पर एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(4)(क) के संदर्भ में विचार नहीं किया जा सकता है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूनिट निर्यात के उद्देश्य से आयात का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित यूनिट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से प्लास्टिक की बोतलों के आयात के लिए है और सफाई / पृथक्करण और मशीन में पेराई के बाद ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद, इसे निर्यात किया जाएगा। यूनिट 100 प्रतिशत निर्यात का प्रस्ताव करती है और कोई डीटीए बिक्री नहीं की जाएगी।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 18 : विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करना :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(क) में यह प्रावधान है कि प्लास्टिक स्क्रैप अथवा अपशिष्ट की रिसाइक्लिंग संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि में विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 8)।

मद संख्या 84 8 (xii) : (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दा (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशेंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्र एवं फ्रैगरेंस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार की सुपारी के निर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 14 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स एमआरए फ्रैगरेंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 16 जुलाई 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

पांच वर्षों की अवधि के दौरान 13500 लाख रूपये के प्रक्षेपित निर्यात और 13500 लाख की एनएफई आय के साथ (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दा (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशेंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्र एवं फ्रैगरेंस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार के अरेका नट के विनिर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एमआरए फ्रैगरेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को दिनांक 06.06.2018 को आयोजित की गई अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) और एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18 के संदर्भ में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि :

(i) चांदनी चौक स्थित फर्म के कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय का पता एक आवासीय पता था, जिसमें तथ्यों की घोर गलतबयानी की गई है और एनएसईजेड में इस यूनिट की स्वीकृति के लिए मिथ्या जानकारी प्रदान की गई है।

(ii) आवेदक कंपनी को हाल ही में दिसंबर, 2017 में निगमित किया गया है और इसने प्रस्तावित वस्तुओं का कोई विनिर्माण और निर्यात नहीं किया है।

(iii) विकास आयुक्त (सीमा शुल्क) द्वारा प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की गई थी। कंपनी के प्रोमोटरों के परिचालन जमीनी वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते हैं।

(iv) वित्तीय व्यवहार्यता के लिए आवेदक मैसर्स नॉक आउट फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालन पर निर्भर थे। आवेदक ने वर्ष 2016-17 के लिए केवल 5758/- रूपये पर लाभ दिखाया था और अगले पांच वर्षों में 13500 लाख रूपये का निर्यात हासिल करने का अनुमान लगा रहा है। स्पष्ट रूप से यह असंगत है।

(v) पांच वर्षों में 135 करोड़ रूपये के निर्यात कारोबार को प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव की कमी।

(vi) यूनिट बेमेल उत्पादों के विनिर्माण की मंजूरी मांग रही है जो वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 69 के विरूद्ध है।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने कहा है कि अनुमोदन समिति ने सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया है और अस्वीकृति आदेश लगभग एकपक्षीय है। अस्वीकृति के आधार तथ्यों / विषय-वस्तु के विरोधाभासी हैं तथा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की अवधारणा का समर्थन नहीं किया गया। यह विवादास्पद आदेश निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड संबंधी सरकार की नीति के विरूद्ध है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा : 15 यूनिट की स्थापना :

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 15 (3) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति ऐसी शर्तों एवं नियमों जिसे वह लगाना उपयुक्त समझे, के अधीन संशोधन के साथ या संशोधन के बगैर प्रस्ताव

अनुमोदित कर सकती है अथवा उपधारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

परंतु यह कि प्रस्ताव में सुधार या अस्वीकृति के मामले में अनुमोदन समिति संबधित व्यक्ति को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगी और कारणों का उल्लेख करने के बाद प्रस्ताव को संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी।

वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 69 के अनुसार, सब-यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस के ब्राड बैंडिंग और विभाजन की अनुमति नहीं होगी।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 9)।

मद संख्या 84 8 (xiii) : रामानुजन आईटी सिटी कैंपस में विज्ञापन की गतिविधियों को अनुमत करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश दिनांक 28 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड की अपील दिनांक 3 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

चेन्नई, तमिलनाडु में 10.115 हेक्टेयर के क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड, विकासक को 20 अगस्त, 2008 को एलओए प्रदान किया गया था। दिया गया था। यह जोन क्रियाशील है और 23.74 एकड़ के प्रसंस्करण क्षेत्र में और 1.53 एकड़ के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास 6 आईटी भवनों के साथ पूरा हुआ है, जो 4.5 मिलियन वर्गफीट में स्थित हैं और प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 35 यूनिटें क्रियाशील हैं। ज़ोन में किया गया निवेश लगभग 4000 करोड़ रुपये है और विभिन्न क्षमताओं में लगभग 40,000 व्यक्ति कार्यरत हैं।

अपीलकर्ता ने कहा कि जोन में यूनिटों के 40,000 नियमित कर्मचारियों के अलावा, लगभग 5000 व्यक्ति मासिक रूप से भी जोन का दौरा करते हैं। अपीलकर्ता ने कहा कि लगभग सभी कर्मचारी और साथ ही साथ जोन में आने वाले लोग उच्च व्यय क्षमता वाले व्यक्ति हैं और इस संबंध में अपीलकर्ता को एक विज्ञापन एजेंसी से प्रस्ताव मिला है कि ज़ोन में सार्वजनिक स्थानों को बैनर और बिल बोर्ड के प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी कहा है कि यूनिटों की गतिविधियों में बाधा डाले बिना अपीलकर्ता को और जीएसटी के रूप में सरकार को राजस्व सृजन करते हुए विज्ञापनकर्ताओं से किराया भी वसूला जा सकता है। इकाइयों की गतिविधियों को बाधा पहुंचाये बिना जब अपीलार्थी के राजस्व उत्पन्न करते समय और साथ ही जीएसटी के रूप में सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूएसी की बैठक में अपीलकर्ता का अनुरोध प्रस्तुत किए बिना, विकास आयुक्त ने एकतरफा रूप से 28 जून, 2018 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर अनुमति के लिए अस्वीकार कर दिया कि वर्तमान अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलकर्ता इस अपील को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9 (2) (ख) के साथ पठित धारा 9 (2) (छ) के तहत अनुमोदन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को पेश करता है। 27 अक्टूबर, 2006 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस, आईटी/आईटीईएस के लिए अधिकृत प्रचालनों की सूची में शामिल है। बिल बोर्डों और बैनरों का प्रदर्शन एसईजेड अधिनियम और इसके तहत तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण नहीं करता है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9 : बोर्ड के कर्त्तव्य, शक्तियां और कृत्य :

(ख) विकासक द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन में की जाने वाली प्राधिकृत संक्रियाओं का अनुमोदन करना;

(छ) धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन की गई अपीलों को निपटाना;

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 10)।

मद संख्या 84 8 (xiv) : ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2018 के विरुद्ध मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड की अपील दिनांक 2 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड को अचुथुपुरम ऐर रामबली मंडल, विशाखापत्तनम जिला स्थित मैसर्स एपीआईआईसी एसईजेड में कैलसाइंड पेट्रोलियम कोक और बाय-प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक पावर के विनिर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी दिनांक 14 सितंबर, 2017 प्रदान किया गया था। यूनिट ने ब्राड बैंडिंग / विविधीकरण, जिस पर 29 जून, 2018 को आयोजित यूएसी की 60वीं बैठक द्वारा विचार किया गया था, के तहत अतिरिक्त उत्पादों (पेट्रो पिच आदि) के विनिर्माण को

शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया :

(i) मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधि के बीच कोई सामान्य उत्पादन सुविधा या कोई बैकवर्ड या फारवर्ड संबंध नहीं है।

(ii) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के तहत नई परियोजना के लिए यूएसी द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित एनएफई शर्त का पालन करने के लिए यूनिट का इनकार

(iii) क्योंकि नई परियोजना 18 महीने के बाद ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है, अतः यूएसी प्रस्तावित नई गतिविधि को एलओए में शामिल नहीं कर सकती है क्योंकि आरम्भ में, यूएसी के पास एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के अनुसार एक वर्ष से आगे यूनिट को स्थापित करने के लिए अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है।

अपील की विषय वस्तुएं

(i) दो उत्पाद अर्थात सीपीसी और पेट्रो पिच एनोड्स विनिर्माण की मुख्य सामग्री हैं जो कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं। यूनिट द्वारा प्रस्तावित उत्पाद गतिविधि अर्थात केवल पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की शोधन प्रक्रिया के उसी क्रम में विनिर्माण के लिए कंपनी की नीति के अनुरूप हैं। उनकी विनिर्माण नीति के अनुसार गतिविधियों की इन दो लाइनों को जोड़ने के लिए सहक्रिया मौजूद है।

(ii) यूनिट ने एनएफई की किसी भी शर्त को मानने से इनकार नहीं किया है बशर्ते इस पर उसी एलओए के तहत माना जाए। इकाई ने संयुक्त एनएफई चार्ट पेश किया है जिसमें उन्होंने एसईजेड नियमों की आवश्यकता को पूरा करते हुए सकारात्मक एनएफई का स्पष्ट प्रक्षेपण प्रस्तुत किया है।

(iii) नए प्रस्तावित संयंत्र के साथ तालमेल बनाने के लिए मौजूदा एलओए प्लांट पर निर्माण गतिविधि धीमी हो गई है। प्लांट और भवन का निर्माण पूरा करने तथा मशीनों की संस्थापना के लिए लगने वाले समय में एलओए संशोधन की तारीख से 16 महीने का समय लगेगा। प्रस्तावित संयुक्त निवेश 636.87 करोड़ रुपए के आसपास है। इस तरह के किसी भी बड़े निवेश के प्रस्ताव को एक या दो साल के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 19 : किसी यूनिट को अनुमोदन पत्र

अनुमोदन पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि के भीतर यूनिट उत्पादन या सेवा या व्यापार या मुक्त व्यापार और भांडागारण क्रियाकलाप शुरू करेगी और यूनिट विकास आयुक्त को उत्पादन का क्रियाकलाप शुरू करने की तारीख सूचित करेगी।

परंतु उद्यमी के अनुरोध पर दो वर्ष से अनधिक आगे की अवधि के लिए विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करते हुए विकास आयुक्त द्वारा और समय बढ़ाया जा सकेगा।

परंतु यह भी कि विकास आयुक्त एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

परंतु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी द्वारा लिखित अनुरोध पर, और यह समाधान होने के बाद कि अतिरिक्त अवधि के लिए और विस्तार, जो कि एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, प्रदान किया जाना आवश्यक और समीचीन है, अवधि में विस्तार कर सकेगा।

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 22 : प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रत्येक विकासक और उद्यमी द्वारा प्राप्त की जाने वाली छूटों, वापसियों और रियायतों के लिए शर्तें

प्रत्येक यूनिट और विकासक वित्तीय वर्षवार उचित लेखे रखेगा और ऐसे लेखे जिनमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल का मूल्य खपत या माल का उपभोग, माल का उत्पादन तथा उपोत्पाद, अवशिष्ट या स्क्रैप या अवशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्रा में निर्यात, विक्राय या प्रदायों के रूप में विनिर्मित या उत्पादित माल का व्ययन या यथास्थिति विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्ट यूनिटों या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, को स्थानांतरण और स्टॉक में बकाया को स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना चाहिए।

परंतु यह कि यूनिट विकासक ऐसे अभिलेख को सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से सात वर्ष की अवधि के लिए रखेंगे।

परंतु यह भी कि व्यापार और विनिर्माण दोनों क्रियाकलापों में लगी यूनिट व्यापार और विनिर्माण क्रियाकलाप के लिए पृथक अभिलेख रखेंगी।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 11)।

******

मद संख्या 84.13 : विविध मामले (एक प्रस्ताव)

मद संख्या 84.13 (i) मैसर्स सार्थक वेयर हाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

नियम 18 (5) के तहत व्यापार और भंडारण के लिए 25 जून, 2010 को मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी) को एलओए इस विशिष्ट शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि उन्हें पहले से उपयोग की गई किसी भी सामग्री जैसे इस्तेमाल किए गए कपड़े या प्लास्टिक की रद्दी का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। यूएसी ने 04 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया कि एसईजेड अधिनियम और नियमों में वेयरहाउसिंग यूनिटों में पहले से उपयोग की गई कोई वस्तु रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि इस तरह के भंडारण में विनिर्माण गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो नियम 18 (4) (ग) के तहत निषिद्ध है और उक्त माल का निर्यात भी 100 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, यूएसी ने निर्णय लिया कि इस तरह की छूट (पहले से उपयोग की गई वस्तुओं के भंडारण की अनुमति की छूट) इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी यूनिटों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी डीटीए की बिक्री की अनुमति नहीं होगी और उनके द्वारा आयातित पहले से उपयोग की गई वस्तु का 100 प्रतिशत देश के बाहर निर्यात किया जाएगा।

यूएसी के उपरोक्त उल्लिखित निर्णय के आधार पर, मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने उपयोग किए गए कपड़े और प्लास्टिक की रद्दी जैसी पहले से उपयोग की गई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के संबंध में अपने एलओए में संशोधन के लिए आवेदन किया। 21 अक्टूबर, 2014 को आयोजित यूएसी की 73वीं बैठक में, एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (ड) के तहत निर्यात की परिभाषा पर चर्चा के बाद और अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स वर्षा एक्सपोर्ट को दिए गए अनुमोदनों सहित विभिन्न अनुमोदनों को ध्यान में रखते हुए, यूएसी ने "देश के बाहर 100 प्रतिशत निर्यात" शब्द को "100 प्रतिशत निर्यात" से बदलने का निर्णय लिया, जिससे आईयूटी को निर्यात स्थिति प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। हालांकि, डीटीए की कोई बिक्री नहीं संबंधी शर्त बरकरार रखी।

100 प्रतिशत निर्यात और डीटीए की कोई बिक्री नहीं संबंधी शर्त के साथ पहले से उपयोग किए गए माल के आयात / भंडारण की अनुमति देने के लिए मैसर्स एसटीडब्ल्यूसी को जारी किए गए एलओए दिनांक 25 जून, 2010 को संशोधित किया गया। मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने नियम 18(6) के तहत अपने विदेशी ग्राहक की ओर से पहले उपयोग किए जा चुके गैर-निर्यात योग्य शेष और पहले से पहने जा चुके कपड़ों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। यूएसी ने 26 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में अनुरोध को निरस्त कर दिया, जबकि डीओसी के निर्देश 49 दिनांक 12 मार्च, 2010, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित यूएसी योग्यता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग आदि की अनुमति देते हुए एफटीडब्ल्यूजेड यूनिट के

अधिकृत संचालन के भाग के रूप में एफटीडब्ल्यूजेड यूनिट के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, पर निर्भर करते हुए वेयरहाउसिंग कार्यकलाप के भाग के रूप में कपड़ों को छोटे टुकड़ों में काटने की अनुमति दी।

17 मार्च, 2015 को आयोजित यूएसी की 78वीं बैठक में, यूएसी की विगत बैठक में लिए गए उपरोक्त उल्लिखित निर्णय को अंगीकार न करने और उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने 19 मई, 2015 को आयोजित 65वीं बैठक में इस आधार पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नियम 18(4)(ग) के तहत उक्त गतिविधि अनुमेय नहीं थी। डीओसी ने स्पष्ट किया कि मैसर्स वर्षा एक्सपोर्ट के मामले में यथाउल्लिखित पहले से उपयोग किये गए, पहने हुए और इस्तेमाल किए गए कपड़ों का 100 प्रतिशत निर्यात को केवल देश से बाहर भौतिक निर्यात के किया जाना समझा जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर, मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को जारी किए गए एलओए को यह प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया कि पहले से उपयोग किए गए माल का आयात और भंडारण देश से बाहर 100 प्रतिशत भौतिक निर्यात की शर्त के अधीन होगा और किसी भी अंतर-जोन आपूर्ति तथा डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विकास आयुक्त से प्राप्त इनपुट के आधार पर, डीओसी ने निर्देश दिया कि पहले से उपयोग किए गए मालों के आयात के लिए मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को दिए गए अनुमोदन को एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(घ) के संदर्भ में तुरंत वापस ले लेना चाहिए।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित बीओए की 82वीं बैठक में बहाली के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, हालांकि, बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के बाद इसे स्थगित कर दिया गया और विकास आयुक्त, केएएसईजेड को फिर से जांच करने के लिए निर्देश दिया गया कि क्या यूनिट द्वारा प्रस्तावित गतिविधि को पुनरावर्तित किया जा सकता है ।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अब सूचित किया है कि डीटीए बिक्री की निगरानी प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए, डीटीए में पुनसंस्कृत पहने हुए और उपयोग किए गए कपड़ों जैसी संवेदनशील वस्तुओं की जांच एक पृथक सीमांकित जांच के जरिए की जाती है, जो क्लोज्ड सर्किट कैमरे के पर्यवेक्षण में होती हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि गठरियों की जांच मूल्यांकक/जांच अधिकारी द्वारा किसी निर्णय की गुंजाइश के बिना पूरी तरह से यादृच्छिक आधार पर होती है। उनके कार्यालय द्वारा किसी भी उल्लंघन का कोई मामला नहीं देखा गया है, हालांकि, अनुचित रूप से कटे-फटे कपड़ों के कुछ मामलों का पता लगाया गया और अपराध के लिए उन्हें सख्त तरीके से दंडित किया गया।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

यह सिफारिश की जाती है कि मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी द्वारा आयात और आयातित मात्रा के उनके 100 प्रतिशत पुन: निर्यात के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए और किसी भी अंतर-जोन बिक्री को रोकने के लिए, वे 100 प्रतिशत भौतिक पुन: निर्यात के अनुपालन की निगरानी के लिए आयात और निर्यात के संबंध में अपने मासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे एसईजेड प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें 12 महीने की रिकॉर्डिंग के साथ सभी संचालनों को रिकॉर्ड करने के लिए गेट पर कैमरे संस्थापित करने चाहिए, ताकि ये रिकॉर्डिंग विकास आयुक्त के कार्यालय को उपलब्ध कराई जा सके। यदि ये सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, तो एमओसी मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को पहने हुए कपड़ों के आयात / निर्यात के लिए अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.14 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

मद संख्या 84 14 (i) : 79241 वर्गफीट के अनुमोदित अतिरिक्त क्षेत्रफल में से 9500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कैफेटीरिया के लिए आवेदन दिनांक 26 जून 2018 को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2018 के विरुद्ध मैसर्स असेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील दिनांक 22 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स असेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एसईईपीजेड एसईजेड के अधिकार क्षेत्र के तहत एक यूनिट है, को "सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी इनेबल सर्विसेज" के अधिकृत प्रचालन के लिए 16 दिसंबर, 2014 को एलओपी दिया गया था। यूनिट ने 09 अप्रैल, 2015 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

अपीलकर्ता ने मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड -एसईजेड के भवन ए में 79,241 वर्गफुट के माप के क्षेत्र में अवस्थिति में वृद्धि और निर्यात, विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और बहिर्वाह के संशोधित प्रक्षेपण के लिए 26 जून, 2018 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

एसईईपीजेड मुंबई में आयोजित मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड के संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2018 को आयोजित यूएसी बैठक में अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

यूएसी ने 9500 वर्गफुट (अतिरिक्त अनुमोदित क्षेत्र में) के कैफेटेरिया क्षेत्र को छोड़कर संशोधित प्रक्षेपण और 79,241 वर्गफुट के अतिरिक्त स्थान को मंजूरी दी। कैफेटेरिया के प्रस्ताव को यूनिट के अधिकृत संचालन से संबंधित नहीं होने के कारण यूएसी द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपील की विषय वस्तुएं

यूएसी से निम्नलिखित कारणों के कारण प्रस्ताव के अधिकृत संचालन से संबंधित नहीं होने के समाधान में चूक हुई है:

(क) एक आईटी / आईटीईएस कंपनी होने के नाते अपीलकर्ता 24x7 संचालन करता है तथा कैफेटेरिया कुछ और सेवाओं जैसे परिवहन आदि के अलावा 24x7 संचालन के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षित संरचना में से एक है।

(ख) इन सुविधाओं में लगभग 5000 कार्यबल तैनात किए जाएंगे, जिसमें प्रचुर संख्या में महिला कार्यबल भी शामिल हैं तथा 24 * 7 संचालन को ध्यान में रखते हुए, यूनिटों के अनन्य उपयोग के लिए इन-हाउस कैफेटेरिया सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

कारखाना अधिनियम की धारा 46 के तहत, राज्य सरकार यह अपेक्षित कर सकती है कि किसी भी निर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के उपयोग के लिए एक या अधिक कैंटीन की व्यवस्था और रखरखाव किया जाएगा। धारा 47 के तहत श्रमिकों के उपयोग के लिए आश्रय, दोपहर के भोजन के लिए कक्ष और शौचालय बनाए रखे जाएंगे। यदि एसईजेड यूनिटों को उनके लिए इन-हाउस कैफेटेरिया / कैंटीन के संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने में भी सक्षम नहीं होंगे।

यदि अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह अपीलकर्ता की परियोजना योजना के कार्यान्वयन और निष्पादन को बाधिक करेगा और इसे पूरी परियोजना पर पुनः काम करने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात राजस्व / ग्राहकों के प्रति डिलीवरी प्रतिबद्धताओं और रोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से साथ-साथ विलंब और लागत में वृद्धि होगी । इससे महिला कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के कार्यकरण को सुकर बनाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार की व्यापार को सुकर बनाने की नीति पर नाकाम होगी। यदि अनुमति दे दी जाती है तो भारत सरकार को निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में काफी आय होगी।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 11 : प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

(5) प्रसंस्करण क्षेत्र या मुक्त व्यापार और भांडागारण क्षेत्र में भूमि या निर्मित स्थान केवल नियम 19 के तहत जारी किए गए वैध मंजूरी पत्र रखने वाले उद्यमियों को पट्टे पर दिया जाएगा और पट्टे की अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, परंतु पट्टा दस्तावेज में किसी अन्य शर्त के होते हुए भी, मंजूरी पत्र की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के मामले में अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

बशर्ते कि विकासक, अनुमोदन समिति की पूर्व स्वीकृति से, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच और यूनिट के विशिष्ट उपयोग के लिए यथाअपेक्षित इस तरह की अन्य सुविधाओं जैसी सुविधाओं के सृजन के लिए पट्टे पर भूमि या निर्मित स्थान पर अनुदान दे सकता है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 12)।

*****